**दिनाक: 03-01-24 को थाना रायपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अपराधी पीडिता के सगे फूफा को रायपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार।**

दिनांक 02.01.24 को वादिनी ने थाना रायपुर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि वर्तमान में वादिनी अपने पति से अलग रहती है। वादिनी का उसके पति के साथ विवाद के चलते इसका पति और उनकी नाबालिक पुत्री अपने सगे फूफा के घर पर रह रहे थे। नव वर्ष में उसका पति उसकी पुत्री को घर छोड़ गया। जिसने बताया कि उसके सगे फूफा धीरेंद्र मल उर्फ घोलेमल पुत्र चंद्र बहादुर मल निवासी चार नंबर चक्की रायपुर उम्र 62 वर्ष ने डरा धमकाकर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया, जिस पर थाना रायपुर में तत्काल मु0अ0सं0-03/24 धारा 376(3)/व 3/4 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। गठित टीम द्वारा ठोस सुरागरसी/पतारसी करते हुए दिनांक: 03-01-24 को अभियुक्त धीरेंद्रमल उर्फ घोलेमल पुत्र चंद्र बहादुर मल निवासी चार नंबर चक्की रायपुर उम्र 62 वर्ष को चार नंबर चक्की रायपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मां0न्यायालय के समक्ष पेश कर मां0 न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

**विवरण गिरफ्तार अभियुक्तः-** धीरेंद्र मल उर्फ घोलेमल पुत्र चंद्र बहादुर मल निवासी चार नंबर चक्की रायपुर, उम्र 62 वर्ष

**पुलिस टीमः- 1.** उ0नि0 नवीन जोशी

2. म0उ0नि0 हेमलता

3. हेड कांस्टेबल दीप प्रकाश

4. कॉन्स्टेबल संकेश शुक्ला

5. महिला कांस्टेबल शोभा